न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 31/2019/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
तारीख दायराः 7.3.2019
अन्तर्गत धाराः 75 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. रामलाल आत्मज पन्नालाल जाति जंगम निवासी डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज0)।

...अपीलांट

बनाम

1 शंभूदयाल आत्मज धन्नालाल जाति नाथ निवासी डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी (राज0)।
2 त्हसीलदार तालेडा जिला बूंदी (राज0)

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक अपीलांट
श्री मुकेश कुमावत अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 7.11.2019

अपीलार्थी रामलाल ने न्यायालय तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण क्रमांक–न्याय/भूअभि./विरासत/2018/110 बावत प्रार्थी रामलाल द्वारा दिनांक 16.1.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फौती इंतकाल खुलवाने व शंभूदयाल द्वारा दिनांक 2.8.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत गोदपुत्र के नाम इंतकाल खुलवाने के संदर्भ मे भू राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 23(2) व 135 (2) के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 5.9.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि खातेदार पन्नालाल के गैरखातेदारी की कृषि आराजी ग्राम डाबी तह0 तालेडा ख0 नं0 1736/1164 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा का गैरखातेदार पन्नालाल की मृत्यु लाऔलाद एवं निंवसीयत होने उपरांत रामलाल ने दत्तक पुत्र होने के आधार पर पन्नालाल की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी का फोती इंतकाल खोलने हेतु दिनांक 16.1.2018 को आवेदन पत्र पेश किया तथा शंभूदयाल द्वारा गोदपुत्र के नाम इंतकाल खोलने हेतु दिनांक 2.8.2018 को तहसीलदार तालेडा के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार तालेडा ने प्रकरण–न्याय/भूअभि./विरासत/2018/110 दर्ज कर पन्नालाल की कृषि आराजी पर रेस्पो0 क्रम–1 को दत्तक पुत्र मानते हुये उसके नाम उपरोक्त भूमि का इंतकाल दर्ज करने का दिनांक 5.9.2018 को निर्णय पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी रामलाल ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी सिद्धान्तो के विपरीत है। पन्नालाल का एक मात्र वारिस अपीलांट होना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कर दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना निर्णय दिनांक 5.9.2018 पारित करने मे त्रुटि की है जेरअपील निर्णय नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा

दत्तक पुत्र होने संबधी प्रार्थना पत्र मे आयु 40 वर्ष वर्णित की गई है। हिन्दू अडोप्शन एक्ट के तहत किसी 40 वर्षीय व्यक्ति को गोदपुत्र नही लिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर नही कर त्रुटि की है। रेस्पो0 कम–1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे दौराने विचारण वसीयत पेश की गयी ऐसे मे उसे दत्तक पुत्र बाबत गोदनामा बनाने की कोई आवश्यकता नही थी। अतः दोनो दस्तावेज अपने आप मे एक दूसरे के विरोधाभाषी है वसीयतनामा 22.1.2003 भी फर्जी है और इन दस्तावेजो के आधार पर रेस्पो0 कम–1 को पन्नालाल का वारिस नही माना जा सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा वारिस घोषित नही कर दिया जावे। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 5.9.2018 अपास्त किया जावे तथा अपीलांट के पक्ष मे मृतक पन्नालाल की कृषि भूमि ख0 नं0 1736/1164 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा का फोती इंतकाल खाले जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी पन्नालाल की गैरखातेदारी मे दर्ज है। पन्नालाल लाऔलाद फौत हुआ है। मुताबिक सरपंच के प्रमाण पत्र के रामलाल, मृतक पन्नालाल का भतीजा तथा गोदपुत्र है। पन्नालाल की उक्त आराजी का फौती नामा0 दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 कम–1 शंभूदयाल ने गोदपुत्र एवं वसीयतनामा पेश कर विवादित आराजी अपने नाम दर्ज कराने हेतु पेश किया। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार तालेडा ने शंभूदयाल को मृतक पन्नालाल का वारिस मानते हुये विवादित आराजी का इंतकाल उसके नाम दर्ज करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 5.9.2018 पारित कर दिया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस मे बताया कि शंभूदयाल के पक्ष मे मृतक पन्नालाल की बेवा का गोदनामा पन्नालाल की मृत्यु के 20–25 वर्ष बाद का है उस वक्त शंभूदयाल की आयु लगभग 40 वर्ष थी। हिन्दू अडोप्शन एक्ट के तहत किसी 40 वर्षीय व्यक्ति को गोदपुत्र नही लिया जा सकता। परीक्षण न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर नही किया। रेस्पो0 कम–1 गोदपुत्र है तो वसीयत की क्या आवश्यकता थी वसीयतनामा बाद का है ऐसी स्थिति मे दोनो दस्तावेज अपने आप मे एक दूसरे के विरोधाभाषी है। वसीयतनामा 22.1.2003 भी फर्जी है और इन दस्तावेजो के आधार पर रेस्पो0 कम–1 को पन्नालाल का वारिस नही माना जा सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा वारिस घोषित नही कर दिया जावे। तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा को मानते हुये त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र तहसीलदार की जांच रिपोर्ट से अपीलांट को गोदपुत्र माना है। रेस्पो0 कम–1 ने सम्पति के लिये उक्त फर्जी दस्तावेज तैयार किये है। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त कर विवादित आराजी का फोती इंतकाल अपीलार्थी के नाम तस्दीक किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 ने बहस मे प्रकट किया कि अपील मे वर्णित तथ्य निराधार है। तहसीलदार तालेडा ने प्रकरण मे पारित निर्णय मे उक्त सभी विवाद्यक को तय किया है। रेस्पो0 कम–1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वैध है। सक्षम न्यायालय द्वारा दस्तावेज को अवैध घोषित नही किया है। अतः परीक्षण न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः अपील मे गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू का निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय के निर्णय की जानकारी संबधित पटवारी द्वारा जनवरी 2019 के द्वितीय सप्ताह मे बताये जाने पर होना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन किये जाने का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 व शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन नही किया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि सद्भाविक होने से डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात तथा जेरअपील निर्णय दिनांक 5.9.2018 के अवलोकन से प्रकट होता है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं0 2072–2075 ग्राम डाबी खाता सं0 236 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा कैलाशबाई बेवा पन्ना नाथ कौम बाबाजी नाथ सा. देह गेर. खातेदारी मे दर्ज है। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त वर्णित आराजी को गैरखातेदार कैलाश बाई बेवा पन्नानाथ कोम बाबाजी नाथ साकिन देह के स्थान पर गोदपुत्र, वसीयतग्रहिता शंभूदयाल को पूर्व मे ही राजस्व न्यायालय द्वारा उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र घोषित किये जाने से उसके नाम खाते दर्ज किये जाने का जेरअपील निर्णय दिनांक 5.9.2018 पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि शंभूदयाल के पक्ष मे मृतक पन्नालाल की बेवा का गोदनामा पन्नालाल की मृत्यु के 20–25 वर्ष बाद का है उस वक्त शंभूदयाल की आयु लगभग 40 वर्ष थी। हिन्दू अडोप्शन एक्ट के तहत किसी 40 वर्षीय व्यक्ति को गोदपुत्र नही लिया जा सकता। प्रकरण मे यह भी तर्क रहा है कि गोदपुत्र है तो वसीयतनामा दिनांक 22.1.2003 की क्या आवश्यकता थी वसीयतनामा बाद का है ऐसी स्थिति मे दोनो दस्तावेज अपने आप मे एक दूसरे के विरोधाभाषी एंव फर्जी है और इन दस्तावेजो के आधार पर रेस्पो0 क्रम–1 को पन्नालाल का वारिस नही माना जा सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा वारिस घोषित नही कर दिया जावे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी कैलाशबाई बेवा पन्नानाथ की गैरखातेदारी मे दर्ज है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 मे निहित प्रावधान अनुसार खातेदार आसामी द्वारा ही अपने भूमि–क्षेत्र मे अपने हित को या हिताशं को उस व्यक्तिगत कानून के अनुसार जिसके कि वह अधीन है, अन्तिमेच्छा–पत्र के द्वारा वसीयत मे दे सकता है तथा इसी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार गैरखातेदार को भूमि का कोई दान या अन्य प्रकार से अन्तरण करने का अधिकार नही है। मृतक पन्नालाल की बेवा का गोदनामा पन्नालाल की मृत्यु के 20–25 वर्ष बाद का है। गोदनामा मे रेस्पो0 क्रम–1 शंभूदयाल की आयु 40 साल होना उल्लेखित है। हिन्दू एडोप्शन एक्ट मे निहित प्रावधान गोद लिये जाने की आयु सीमा 15 वर्ष है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे गैरखातेदारी मे दर्ज उक्त विवेचित आराजी का गोद अथवा वसीयत के आधार पर रेस्पो0 क्रम–1 के पक्ष मे आराजी का राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होना प्रकट होता है किन्तु दिनांक 28.7.2007 को निष्पादित गोदनामा पंजीकृत गोदनामा है तथा पन्नालाल आ0 माधोनाथ जाति नाथ बाबाजी द्वारा दिनांक 22.1.2003 को रेस्पो0 क्रम–1 शंभूदयाल के पक्ष मे निष्पादित वसीयत (नोटेरी से प्रमाणित) को आज तक सक्षम न्यायालय मे चुनोती दिये जाने संबधी कोई आधार अभिलेख पत्रावली मे मौजूद नही है। प्रकरण मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। चूंकि गोदनामा 28.7.2007 पंजीकृत है राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेज/गोदनामे को अवैध/प्रभावशुन्य करार दिये जाने

सदि० स० आयु०
कोटा

की शक्तियां प्रदत्त नही है। अपीलार्थी उक्त विवेचित गोदनामा अथवा वसीयतनामा से किसी प्रकार व्यथित है तो सक्षम न्यायालय मे चुनोती देकर अपने हक हकूको का निर्धारण कराने के लिये स्वतंत्र है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिडिंग है जिसमे किसी व्यक्ति के स्वत्व का निर्धारण नही किया जाता। नामा0 कार्यवाही भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जावेगा तय किया जाना मात्र है। उक्त विवेचित विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का विधिक तौर पर अधिकारी नही है लिहाजा अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा